कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या एम0ई0–1/2021/1919 लखनऊ : दिनॉक 08 मई, 2021

"विज्ञप्ति"

कोविड–19 महामारी की द्वितीय लहर प्रभावी होने के दृष्टिगत कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्थापित कोविड चिकित्सालयों में जनशक्ति की कमी को दूर करनें हेतु निजी क्षेत्र के एवं सेवानिवृत्त चिकित्सक/नर्स/पैरा मेडिकल स्टाफ को भी कोविड वार्डों में ड्यूटी हेतु प्रेरित करनें के उद्देश्य से उन्हें भी मानदेय के आधार पर इन्गेज किये जानें हेतु शासनादेश संख्या 693/71–1–2021–जी0–228/2017टी0सी0–10 दिनॉक 06 मई, 2021 द्वारा निर्णय लिया गया है। कार्मिकों को इन्गेज किये जानें हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं :–

1. कोविड चिकित्सालयों में तैनात किये जानें वाले कार्मिकों को एन0एच0एम0 द्वारा स्वीकृत दर पर मानदेय एवं उस पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि पर इन्गेज किया जायेगा।
2. कोविड–19 सैंपल की जॉच हेतु जॉच लैबों एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों में तैनात किये जानें वाले कार्मिकों को मानदेय की राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दिया जायेगा।
3. उक्त शासनादेश दिनॉक 06 मई, 2021 के प्रस्तर–3 के उप बिन्दु–(6) में विहित व्यवस्था के अनुसार कोविड चिकित्सालयों में जनशक्ति की कमी को दूर करनें हेतु आवश्यकता का आंकलन संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा प्राथमिकता पर करते हुये अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4. चिकित्सा शिक्षा विभाग में इसके लिये संबंधित प्रधानाचार्य/संस्थान निदेशक अधिकृत होंगे।
5. कार्मिकों हेतु माह में न्यूनतम 14 दिन की कोविड ड्यूटी अनिवार्य होगी।
6. उक्त उपबन्धों के अंतर्गत इंगेज किये जानें वाले कार्मिकों को शासन के वर्तमान नीति के अनुसार भोजन तथा एक्टिव क्वारण्टाइन की सुविधा अनुमन्य होगी
7. उक्त योजना दिनॉक 01 मई, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक लागू रहेगी।

उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य करनें हेतु इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक कार्यालय में अपराह्न 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे के मध्य आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित हो सकते हैं।

महानिदेशक